आदेश की क्रम सं. और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

BOARD OF REVENUE, BIHAR, PATNA.

Service Appeal Case No.- 24 of 2017.

Dist.- Patna

PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S., Chairman-cum-Member

Sri Ramesh Kumar Rai - Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar - Opposite party

Appearance:

For the Appellant :

For the OP :

आदेश।

18.06.2018

प्रस्तुत अपील वाद संख्या– 24/2017 श्री रमेश कुमार राय, तत्कालीन सहायक, स्वास्थ्य विभाग सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक– 10672 दिनांक– 04.08.2016 द्वारा अधिरोपित बर्खास्तगी के दंड के विरूद्ध दायर किया गया है। श्री रमेश कुमार राय को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के धावादल द्वारा 5,000/– (पाँच हजार रुपये) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दिनांक– 02.10.2013 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा निगरानी थाना कांड सं0– 063/2013 दिनांक– 02.10.2013 दर्ज किये जाने के फलस्वरुप स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश सं0– 1167(5) दिनांक– 31.10.2013 द्वारा श्री राय को बिहार सेवा संहिता के नियम–99 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(2)(क) के तहत गिरफ्तारी की तिथि 02.10.2013 के प्रभाव से ही अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक– 18028 दिनांक– 26.11.2013 द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1998 की धारा– 19 द्वारा श्री रमेश कुमार राय के विरुद्ध धारा–7/13(2) सहपठित धारा – 13(1)(डी) भ्र0नि0 अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

आदेश की क्रम सं. और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

3. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 92(5) दिनांक– 07.02.2014 द्वारा यह सूचित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे दायर वाद सं0– सी0एल0–35 / 2014 रमेश कुमार राय बनाम राज्य सरकार में दिनांक– 21.01.2014 को पारति न्यायादेश में श्री रमेश कुमर राय को जमानत पर रिहा किया गया एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(3)(i) के तहत श्री राय को निलंबन से मुक्त कर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं0– 91(5) दिनांक– 07.02.2014 द्वारा उनकी योगदान, योगदान की तिथि 27.01.2014 के प्रभाव से स्वीकृत करते हुए अगले आदेश तक लिए पुनः निलंबित करते हुए आरोप पत्र (प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्य / अभिलेख) प्रेषित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग से की गई।

4. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 / 19 के संगत प्रावधानों के तहत सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक सं0– 2135 दिनांक– 14.02.2014 द्वारा साक्ष्य / अभिलेखों के साथ आरोप पत्र की प्रति श्री राय को उपलब्ध कराते हुए उन्हें आरोप के संबंध में अधिकतम एक पक्ष के अंदर आने बचाव का लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। श्री राय का बचाव बयान प्राप्त हुआ। श्री राय के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों और अरोपों के आलोक में आरोपी कर्मी श्री राय के अभिकथन की समेकित रुप से समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राय सम्प्रति निलंबित सहायक के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जांच के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

5. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय आदेश सं0– 5218 दिनांक– 16.04.2014 द्वारा श्री रमेश कुमार राय, तत्कालीन सहायक, स्वास्थ्य विभाग के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिवेदित उक्त वर्णित आरोप की विस्तृत जांच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री रामकिशोर मिश्र, संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को उक्त विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

6. संचालन पदाधिकारी श्री रामकिशोर मिश्र, तत्कालीन संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग सम्प्रति प्रशासन मुख्य–सह– संचालन पदाधिकारी, बिहार राज्य पथ

आदेश की क्रम सं. और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	परिवहन निगम, पटना के पत्रांक– 404 दिनांक– 16.01.2016 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में आरोपी श्री राय के विरुद्ध रिश्वत लेते हुए निगरानी धावा दल द्वारा रंगे हाथ पकड़े जाने तथा इसे स्वयं-स्वीकार करने के आधार पर आरोपों को प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप को प्रमाणित माना गया। 7. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से अनुशासनिक प्राधिकार सहमत हुए तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के संगत प्रावधान के अन्तर्गत जाँच प्रतिवेदन की एक प्रति विभागीय पत्रांक– 4574 दिनांक– 29.03.2016 द्वारा श्री राय को भेजते हुए अभ्यावेदन की मांग की गई। इस दरम्यान, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 350(5) दिनांक– 02.03.2016 द्वारा श्री राय के संबंध में विभागीय मंतव्य प्रेषित किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि श्री राय का यह कृत्य घोर कदाचार का परियचायक है, इसके लिए इन्हे सेवा से बर्खास्तगी की सजा दी जानी चाहिए। श्री राय का अभ्यावेदन दिनांक– 01.07.2016 प्राप्त हुआ, जिसकी समीक्षा में पाया गया कि उनके अभ्यावेदन में आरोपों के संबंध में कोई ऐसा तथ्य / तर्क नहीं है जिसके आधार पर उनके विरुद्ध प्राप्त संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं करने पर विचार किया जा सके। आरोपी सहायक अपने बचाव में कोई सार्थक तथ्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे है। उनके द्वारा अपने अभ्यावेदन में मात्र तथ्यहीन एवं सारहीन आक्षेप ही लगाए गए है। 8. उक्त परिप्रेक्ष्य में रिश्वत लेने जैसे गंभीर कदाचार के प्रमाणित आरोप के आलोक में श्री रमेश कुमार राय, तत्कालीन सहायक, स्वास्थ्य विभाग सम्प्रति सहायक को सरकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 14 (xi) के तहत सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है। 9. तदनुसार श्री रमेश कुमार राय, तत्कालीन सहायक, स्वास्थ्य विभाग सम्प्रति निलंबित सहायक को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 14 (xi) के तहत सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया। जिसके विरुद्ध यह सेवा अपील दायर किया गया।	

आदेश की क्रम सं. और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

श्री रमेश कुमार राय ने अपने बचाव में निम्नांकित तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया:–

1– जिस वाहन के बकाये भाड़े के भुगतान पर विचार किया जा रहा था। उक्त वाहर निजी वाहन के रुप में निबंधित था।

2– बकाया भाड़ा भुगतान वाली गाड़ी के लॉग बुक एवं संबंधित संचिका के टिप्पणी खंड में कई प्रकार की गड़बड़ियाँ थी, जिसे उजागर करने के कारण उनके विरुद्ध षडयंत्र कर निगरानी पुलिस से गिरफ्तार करवाया गया।

3– संचालन पदाधिकारी ने उनके द्वारा अपने बचाव में समर्पित तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार नहीं किया।

4– निगरानी थाना कांड सं0– 63/13 में अभियोजन स्वीकृति दिये जाने के पूर्व उनसे स्पष्टीकरण तक नहीं पूछा गया।

5– अभियोजन पद्वा द्वारा चक्षुदर्शी गवाहों को साक्षी नहीं बनाया गया। धावा दल के सदस्यों का बयान भी नहीं लिया गया।

6– दायित्व निर्वहन के प्रति निष्ठा नहीं रखने के संबंध में उनसे कभी स्पष्टीकरण नहीं पूछा गया।

7– उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा दिनांक– 09.02.2015 को संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित बयान के उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों का समर्थन नहीं किया गया है।

8– संचिका उपस्थापित कर देने के बाद रिश्वत की मांग करने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

9– एक ही दिन में परिवादी द्वारा शिकायत करना तथा अन्वेषण ब्यूरों द्वारा उक्त शिकायत का सत्यापन करना और धावादन का गठन किया जाना, उनके विरुद्ध किये गये षडयंत्र का द्योतक है। पोस्ट ट्रैप मेमोरेण्डम/जब्ती सूची पर आसपास के किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है।

10– ट्रैप में इस्तेमाल किये गये नोटों पर किसी दंडाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। प्री ट्रैप मेमोरेण्डम में उनसे मिलने के स्थान का उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त प्री ट्रैप मेमोरेण्डम में अंकित नोटों के नम्बर से ट्रैप में बरामद नोटों के नम्बर के मिलान करने का तथ्य अंकित है। घटना स्थल पर प्री ट्रैप मेमोरेण्डम से नोटों की

आदेश की क्रम सं. और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

संख्या का मिलान का तथ्य भी उनके विरुद्ध सुनियोजित षडयंत्र का परिचायक है।

11– उनके विरुद्ध की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्व अवधारणा पर आधारित है। उसमें कहीं भी न्यायिक अवधारणा का ख्याल नहीं रखा गया। श्री राय के अनुसार मामला विशेष न्यायाल में विचाराधीन था। अतः उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाना उपयुक्त नहीं था।

इस संदर्भ में अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कहा गया कि श्री रमेश कुमार राय द्वारा उल्लिखित तथ्य स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं है। यह एक स्थापित सत्य है कि ट्रैप में पकड़ा गया कोई भी व्यक्ति यह स्वीकार नहीं करता है कि उसने रिश्वत प्राप्त किया है। पकड़े जाने पर सभी व्यक्ति अपने को निर्दोष तथा धावा दल द्वारा जबरदस्ती किये जाने की बात कहते है। धावा दल द्वारा जबरदस्ती किये जाने की बात को स्वीकार कर भी लिया जाय, तो उस जबरदस्ती का आरोपी द्वारा क्या प्रतिकार किया गया, इसका किसी प्रकार का उल्लेख पूरी जाँच प्रक्रिया में कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। श्री राय का यह कथन भी स्वीकार योग्य नहीं है कि उनके द्वारा संचिका एक दिन पहले उपस्थापित की जा चुकी थी। इस संबंध में श्री राय ने इस प्रश्न का कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया है कि विचाराधीन संचिका उनके पास दो महीनों तक क्यों लंबित रही। संचिका को इतने लंबे समय तक अनावश्यक रुप से लंबित रखना निश्चित रुप से उनकी कुत्सित मानसिकता का द्योतक है। गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण के संबंध में भी उनका तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। वादी पक्ष को यह भरोसा था कि वह उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अरोप को सिद्ध कर सकता है। इस कारण से उसने गवाहों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं समझा। प्रतिवादी श्री राय अपने को निर्दोष सिद्ध करने हेतु अपने पक्ष में गवाह प्रस्तुत कर सकते थे। विभागीय कार्यवाही के सम्पूर्ण अभिलेखों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि विभागीय कार्यवाही के दौरान श्री राय द्वारा अपने बचाव में किसी गवाह को प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री राय के इस कथन का भी कोई औचित्य नहीं है कि पूर्व में उनसे दायित्व निर्वहन में निष्ठा नहीं रखने के संबंध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण भी नहीं पूछा गया है। ज्ञातव्य है कि पूर्व में किया गया सदाचार भविष्य के सदाचार की गारंटी के रुप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। साथ ही सुनवाई के दौरान अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया की संचिका इनके पास 2 माह तक लंबित रखी गयी थी।

आदेश की क्रम सं. और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

सभी पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के परीक्षण के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि श्री राय के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित है।

अतः सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक– 10672 दिनांक– 04.08.2016 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील खारिज किया जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग को आदेश की प्रति भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

18/5/18

(सुनिल कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।

18/5/18

(सुनिल कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।